उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 144 / 2023–24 दिनांक : 26.09.2023

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र कुकरेती
(न्यायिक सदस्य)

श्री नवीन चन्द्र तिवारी
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 एम0एस0एम0ई0 टेक्नोलॉजी सेन्टर, परिवादी
वास्ते श्री अमित राजपूत (अस्सिटेंट मैनेजर),
सिडकुल इण्डस्ट्रीज ईस्टेट, सितारगंज।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, सितारगंज।

निर्णय

परिवादी मै0 एम0एस0एम0ई0 टेक्नोलॉजी सेन्टर की ओर से श्री अमित राजपूत का एक शिकायती पत्र दिनांक 29.08.2023 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–880K000193134 (200 के0वी0ए0 औद्योगिक) का विद्युत भार 200 के0वी0ए0 से बढ़ाकर 1000 के0वी0ए0 कराने हेतु विपक्षी विभाग के कार्यालय में दिनांक 06.07.2023 को आवेदन किया गया था जिसका भुगतान शुल्क रू0 7500.00 जमा भी किया गया था। जिसके उपरान्त विभाग की ओर से एक संदेश प्राप्त हुआ कि "आपके लोड बढ़ाने से सम्बन्धित आवेदन पंजीकरण संख्या–457110823001 के अंतर्गत सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया है।" इसके उपरांत भी विभाग द्वारा लोड बढ़ाने से सम्बन्धित कार्यवाही नहीं की गयी जबकि विद्युत लोड बढ़ाने हेतु ऑनलाईन व ऑफलाईन दोनों माध्यम से अनुरोध कर सम्बन्धित दस्तावेज जमा भी करा दिए गये हैं फिर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही हैं। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपनी शिकायत के संबन्ध में उचित दिशा–निर्देश प्रदान कर अपेक्षित कार्यवाही कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा

क्रमशः 2.....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, सितारगंज को अपने पत्र दिनांक 29.08.2023 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 08.09.2023 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 26.09.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 26.09.2023 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री ऋषभ कुमार, सहायक अभियन्ता के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के सहायक अभियंता (राजस्व) ने अपने पत्र दिनांक 26.09.2023 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के आवेदन (रजिस्ट्रेशन नं0–457110823001) पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 01.09.2023 को 1000 केवीए विद्युत भार की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। परिवादी द्वारा रू0 1300000.00 (लोड बढ़ाने हेतु सिक्योरिटी) का भुगतान किया जाना शेष है, जिसके संबन्ध में परिवादी को पूर्व में ही अवगत कराया जा चुका है। परिवादी द्वारा उक्त धनराशि का भुगतान किए जाने के उपरान्त नियमानुसार विद्युत भार बढ़ाने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी द्वारा विद्युत भार बढ़ाने के संबन्ध में किए गए आवेदन पर विपक्षी विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 01.09.2023 को 1000 केवीए विद्युत भार की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसके उपरांत परिवादी द्वारा विभागीय नियमानुसार सिक्योरिटी के मद में वांछित धनराशि जमा की जानी शेष है। उक्त धनराशि का भुगतान प्राप्त होने के बाद ही विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के संयोजन का विद्युत भार बढ़ाने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अंशतः स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह परिवादी द्वारा सिक्योरिटी के मद में वांछित धनराशि का भुगतान किए जाने के बाद विभागीय नियमानुसार विद्युत भार बढ़ाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं इस आदेश की अनुपालन आख्या इस मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

	26/09/2023	26/9/2023
(रमेश चन्द्र कुकरेती)	(नवीन चन्द्र तिवारी)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य